

हिमाचल प्रदेश सरकार

## विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 नवम्बर, 1996

संख्या एस0टी0वी0 (पर्यावरण) ए0/10-4/92.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 (1995 का 15) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम जिनका राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) तारीख 18-7-1996 को समसंख्यांक अधिसूचना तारीख 17-7-1996 द्वारा पूर्व प्रकाशन हो चुका है, बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) नियम, 1996 है।

(2) ये नियम उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 अभिप्रेत है;

(ख) "जीव चिकित्सा/रोग विषयक अपशिष्ट" से अस्पतालों, औषधालयों, प्राइवेट क्लीनिकों, प्रयोगशालाओं और वधशाला में उत्पन्न अपशिष्ट अभिप्रेत है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

- (i) मानव या पशु का शारीरिक अपशिष्ट;
- (ii) रक्त, शारीरिक तरल, और रक्त रंजित पट्टियां;
- (iii) सूक्ष्म ज्वीकीय अपशिष्ट;
- (iv) फेंकी हुई दवाईयां;
- (v) प्रयोज्य नुकीले अपशिष्ट (सूइयां), सरीन्जे, संकेपलस, ब्लेडज;
- (vi) अत्याधिक संक्रामक अपशिष्ट;
- (vii) वधशाला अपशिष्ट;
- (viii) भस्मीकरण अपशिष्ट (किसी जीव चिकित्सा अपशिष्ट में भस्मीकरण की राख);
- (ix) जीव शाला वैज्ञानिक अपशिष्ट;

(ग) "कूड़ा-कचरा प्रबन्धन समिति" से इन नियमों के नियम 4 के अधीन गठित कूड़ा-कचरा/अपशिष्ट प्रबन्धन समिति अभिप्रेत है;

(घ) "कूड़ा-कचरा प्रबन्धन क्षेत्र" से नियम 3 के अधीन गठित क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ङ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है; और

(घ) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है।

(2) अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं परन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

3. कूड़ा-कचरा प्रबन्धन क्षेत्र.--(1) कूड़ा-कचरा निपटाना, झाड़ू और सफाई के लिए, स्थानीय प्राधिकरण अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता में आने वाले क्षेत्र को कूड़ा-कचरा संग्रहण अपशिष्ट प्रबन्ध क्षेत्रों में विभक्त करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन गठित प्रत्येक कूड़ा-कचरा प्रबन्धन क्षेत्र, सफाई निरीक्षक (चाहे उसका कोई भी नाम हो) के प्रभाराधीन होगा और सफाई निरीक्षक एक या एक से अधिक ऐसे क्षेत्रों का प्रभारी होगा।

4. कूड़ा-कचरा अपशिष्ट प्रबन्धन समिति.- (1) नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन गठित कूड़ा-कचरा प्रबन्धन क्षेत्र में, कूड़ा-कचरा के दक्ष संग्रहण और निपटान के लिए उपाय और सहयोग के लिए कूड़ा-कचरा प्रबन्धन समिति का गठन किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे:-

(क) सम्बन्धित स्थानीय निकाय में, क्षेत्र का जन प्रतिनिधि;

(ख) स्थानीय निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट, क्षेत्र के दो जिम्मेदार व्यक्ति;

(ग) क्षेत्र का सफाई निरीक्षक।

(2) उप-नियम (1) के अधीन गठित कूड़ा-कचरा प्रबन्धन समिति, के कार्य क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकरण के निम्नलिखित में सहयोग देना होगा:-

(क) ऐसे स्थानों का चयन करने या चिन्हित करने, जहां कूड़ा-कचरा प्रबन्धन क्षेत्र में, विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न कूड़ा-कचरा/अपशिष्ट अस्थायी तौर पर जमा करने के लिए सार्वजनिक कूड़ेदान उपलब्ध करवाये जाएंगे;

(ख) ऐसे मध्यान्तरों को नियत करने जिनमें नियम 5 के अधीन अभिहित सभी स्थानों पर कूड़ादानों में जमा अन्तर्वस्तु और ढेर को हटाया/खाली किया जाएगा;

(ग) सार्वजनिक कूड़ादान/कचरा पेटी में कूड़ा-कचरा जमा करते समय और इस क्षेपण भूमि को या इसके-जीव परिवर्तन, क्षेपण, भस्मीकरण या पुनः चक्रण के लिए नियत स्थान को ले जाने के लिए रक्षोपाय अपनाने का प्रावधान करने में;

(घ) कूड़ा-कचरा अपशिष्ट विशेषकर जीव अनाशित कूड़ा-कचरा अपशिष्ट को कम करने, उसके पुनः प्रयोग और उसके पुनः चक्रण को सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने में;

(ङ) घरेलू अपशिष्ट को इसके स्रोत पर इसके पुनः प्रयोग और पुनः चक्रण के लिए अलग करने को सामाजिक और आर्थिक व्यवहार्यता के अन्वेषण के लिए क्षेत्र के निवासियों को प्रोत्साहित करने में;

(च) क्षेत्र में पारिस्थितिकी बनाए रखने के लिए और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए सुधारात्मक पग उठाने में।

5. सार्वजनिक कूड़े-कचरे के लिए कूड़ादान/कचरा पेटी.--(1) स्थानीय प्राधिकरण नियम 4 के अधीन गठित कूड़ा-कचरा प्रबन्धन समिति के परामर्श से, क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले अनाशित कूड़ा-कचरा/अपशिष्ट के अस्थाई जमा या संग्रहण के लिए, उचित और सुविधाजनक स्थिति में अलग से जीव अनाशित कूड़ा-कचरा रखने और जमा करने की अन्यथा कूड़ादान/कचरा पेटी की व्यवस्था करेगा।

(2) अस्पतालों, औषधालयों, प्राइवेट क्लीनिकों, प्रयोगशालाओं और कचराशालाओं में, ऐसे संस्थानों का प्रबन्ध करने वाले व्यक्ति, वहां उत्पन्न होने वाले कूड़े-कचरे और जीव धिकित्सा/रोग विषयक अपशिष्ट के संग्रहण और जमा करने के लिए अलग से सुविधाजनक स्थानों पर कूड़ादान/कचरा पेटी की व्यवस्था करेगा।

(3) स्थानीय प्राधिकरण और उप-नियम (2) में निर्दिष्ट प्रबन्धन समिति, इस नियम के अधीन कूड़ादान/कचरा पेटी की व्यवस्था करते/रखते समय यह सुनिश्चित करेगी कि इनको आवारा कुत्तों व पशुओं के प्रवेश/पहुंचने से परे रखने की प्रत्येक सम्भव सावधानियां बरती गई हैं।

6. कूड़ादान/कचरा पेटी को रंग और उस पर लेखन.—सार्वजनिक कूड़ादान और कचरा पेटी को रंग किया जाएगा और निम्नलिखित उस पर लिखा जाएगा :-

- (1) जीवनाशित—काला रंग, केवल जीव नाशित कूड़ा कर्कट के लिए लेखन सहित;
- (2) जीव अनाशित—हरा रंग केवल अनाशित कूड़ा कर्कट के लिए लेखन सहित; और
- (3) जीव धिकित्सा/रोग विषयक/अपशिष्ट/पीला रंग केवल जीव धिकित्सा/रोग विषयक अपशिष्ट के लिए लेखन सहित।

7. स्वामियों और अधिभोगियों द्वारा अपनाये जाने वाले उनके भवनों एवं भूमि से उत्पन्न कूड़ा-कचरा/कूड़ा रखने के लिए रक्षोपाय.—सभी भूमि और भवनों के स्वामी और अधिभोगी अपनी-अपनी भूमि/भवनों से उत्पन्न कूड़ा-कचरा/कूड़ा-कर्कट संगृहित करेंगे या करवाएंगे और इसे क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियम 5 के अधीन अस्थाई रूप से रखने के लिए या कूड़ा-कर्कट को संगृहित करने के लिए उपलब्ध करायाई गई सार्वजनिक कूड़ादानों और कचरा पेटियों में डालेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि :-

- (क) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अभिहित स्थान में कूड़ा-कचरा संगृहित किया जाता है;
- (ख) कूड़ा-कचरा, कूड़ादान/कचरा पेटी में ही डाला जाता है;
- (ग) जीव नाशित कूड़ा-कचरा उस प्रयोजन के लिए अभिहित कूड़ादान/कचरा पेटी/डम्पर में ही डाला जाता है; और
- (घ) जीव अनाशित कूड़ा-कचरा, जीव नाशित कूड़ा-कचरा या जीव धिकित्सा/रोग विषयक अपशिष्ट के साथ नहीं मिलाया जाता है और इसके प्रयोजन के लिए अभिहित कूड़ादान/कचरा पेटी में ही डाला जाता है।

8. जीव अनाशित कूड़ा-कर्कट फेंकने का प्रतिषिद्ध करना.—कोई व्यक्ति अपने आप या दूसरों के माध्यम से जानबूझ कर या अन्यथा :-

- (क) किसी भी प्रकार के जीव अनाशित कूड़े-कचरे को नियम 5 के अधीन उस प्रयोजनार्थ अभिहित कूड़ादान/कचरा पेटी से भिन्न किसी स्थान पर नहीं फेंकेगा या फेंकवाएगा; तथा
- (ख) जीव धिकित्सा/रोग विषयक अपशिष्ट को अन्य जीव अनाशित कूड़े-कचरे/अपशिष्ट के साथ नहीं मिलाएगा।

9. कूड़ा-कचरा निबंधन.—स्थानीय प्राधिकरण और इसके अधिकारी किसी ऐसे जीव अनाशित कूड़े-कचरे को साफ करने के लिए आदेश दे सकेगा जो कि इस अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के विपरीत फेंका गया हो।

10. कूड़े-कचरे/अपशिष्ट का विपटान.—(1) नियम 5 के अधीन उपलब्ध कराये गए कूड़ादानों/कचरा पेटियों में जमा विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न, कूड़े-कचरे/अपशिष्ट को स्थानीय प्राधिकरण या तो अपने कर्मचारियों द्वारा या इस प्रयोजन के लिए लगाए गए प्राइवेट अधिकारियों द्वारा संगृहित करवा कर क्षेपण स्थलों या युक्ति-युक्त कूड़ा स्थलों को ले जाया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन कूड़ादानों/कचरा पेटियों में से उठाये गए और कूड़ा स्थलों को ले जाए गए (जीव धिकित्सा/रोग विषयक अपशिष्ट से भिन्न) जीव अनाशित कूड़े-कचरे/अपशिष्ट चाहे वह जीव अनाशित या जीव अनाशित सामग्री से समाविष्ट हैं को स्थानीय

प्राधिकरण द्वारा व्यवस्थित पुनः चक्रण केन्द्र को, इसके अपने अधिकारियों या प्राईवेट अभिकरणों या चिथड़े उठाने वालों/कबाड़ियों के माध्यम से, ले जाया जाएगा।

(3) सत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी उपबन्ध और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अवधारित किए जा सकने वाले निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी अस्पताल, औषधालय, चिकित्सालय, प्रयोगशाला और वधशाला के प्रबन्धन के उत्तरदायी व्यक्ति जीव चिकित्सा/रोग विषयक/अपशिष्ट को, (जिसमें उससे उत्पन्न अन्य कूड़ा-कचरा भी है) भरसीकरण या अन्य अभरसीकरण प्रक्रिया द्वारा निपटाएगा :

परन्तु जहां भरसीकरण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं या ऐसा मितव्यता के कारण व्यवहार्य नहीं हैं तो स्थानीय प्राधिकरण, तत्प्रतिकूल कारार के अभाव में, जीव चिकित्सा/राग विषयक अपशिष्ट को, भरसीकरण की प्रक्रिया या अन्य अभरसीकरण प्रौद्योगिकी द्वारा, हटाए जाने और निपटाए जाने की व्यवस्था करेगा।

(4) जीव नाशित कूड़ा-कचरा/अपशिष्ट उप-नियम (3) के अधीन रहते हुए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, जैसा वह उचित समझे, जीव परिवर्तन, क्षेपण या भरसीकरण या किसी अन्य वैज्ञानिक पद्धति द्वारा निपटाया जाएगा।

(5) स्थानीय प्राधिकरण की क्षेत्रीय परिसीमाओं के भीतर सभी स्त्रोतों से उत्पन्न कूड़ा कचरे/अपशिष्ट के जीव परिवर्तन, क्षेपण और भरसीकरण के लिए प्रत्येक स्थल आवासिक स्थानों से पर्याप्त दूरी पर स्थित होने चाहिए।

**11. निरीक्षण.**—(1) स्थानीय प्राधिकरण का कोई अधिकारी या कर्मचारी या नियम 4 के अधीन गठित कूड़ा-कचरा प्रबन्धन समिति के सदस्य इन नियमों के उपबन्धों के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ किसी युक्ति-युक्त समय पर निम्नलिखित में से कोई या सभी कार्य कर सकेगा:—

(क) किसी स्थान में प्रवेश और उनका निरीक्षण यह अवधारित करने के लिए करना :—

- कूड़े-कचरे से कोई प्रतिकूल प्रभाव यदि कोई हो, किस विस्तार तक पड़ रहा है, पड़ गया है, या पड़ने की सम्भावना हो;
- कोई प्रतिकूल प्रभाव, जो कि घटित हो सकता है, घटित हो रहा है, या घटित हो चुका है, का कारण जानने के लिए;
- प्रतिकूल प्रभाव को कैसे रोका जाएगा, उसका निराकरण कैसे किया जाए, उसको कैसे घटाया जाए और पर्यावरण का संरक्षण या पुनः सुधार कैसे किया जाए;

(ख) जहां कि ऐसे अधिकारी, कर्मचारी या सदस्य को युक्तियुक्त रूप में विश्वास हो कि वहां कूड़ा-कचरा मिल सकता है यथा रिथिति ऐसा अधिकारी या कर्मचारी या सदस्य किसी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा,

(ग) जब ऐसा अधिकारी, कर्मचारी या सदस्य, यथास्थिति, युक्तियुक्त तौर पर विश्वास करता हो कि पर्यावरण में या ऐसे स्थान पर, जो जनता को दृष्टिगोचर है में कोई कूड़ा-कचरा/अपशिष्ट फँक सकता है, फँक रहा है या फँक चुका है या उस कूड़े कचरे/अपशिष्ट से कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, पड़ गया है, या पड़ने की सम्भावना है तो वह व्यक्ति जिसके पास कूड़े कचरे/अपशिष्ट का प्रभार, प्रबन्धन या नियन्त्रण है तो उस व्यक्ति से कूड़ा-कचरा/अपशिष्ट को जहां या मिले से हटाने या हटाए जाने के लिए और नियम 5 के अन्तर्गत उस प्रयोजनार्थ अभिहित स्थान पर जमा करने की अपेक्षा करेगा।

(2) किसी प्राईवेट परिसर में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले उप-नियम (1) के अधीन प्रवेश नहीं किया जा सकेगा।

**12. अधिकारियों की सहायता.**—किसी स्थान का स्वामी और वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति जिसके बारे में स्थानीय प्राधिकरण का कोई अधिकारी या कर्मचारी या नियम 4 के अन्तर्गत गठित कूड़ा-कचरा प्रबन्धन समिति का सदस्य किसी अधिनियम या तद्विधुन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग कर रहा है और कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है तो:—

(क) ऐसे अधिकारी, कर्मचारी या सदस्य को उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और कार्रवायों के निर्वहन करने के लिए समस्त युक्ति-युक्त सहायता प्रदान करेगा,

(ख) ऐसे अधिकारी, कर्मचारी या सदस्य को उन शक्तियों के प्रयोग और उन कार्रवायों के निर्वहन करने के सम्बन्ध में युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित समस्त सुझाव प्रदान करेगा।

हस्ताक्षरित/-

विभागाध्यक्ष एवं सचिव।

[Authoritative English text of the Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Rules, 1996 notified vide Notification No. STV (Env.) A (10)-4/92, dated 19-11-1996 required as under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 19th November, 1996

No. STV (Env.) A (10)-4/92.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Himachal Pradesh, Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995 (Act No. 15 of 1995), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, the same having been previously published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, (Extra-ordinary), dated the 18th July, 1996 vide notification of even number dated 17-7-1996, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules, may be called the Himachal Pradesh Non-biodegradable Garbage (Control) Rules, 1996.

(2) These shall come into force from such date as the State Government may, by notification, appoint.

2. *Definitions.*—(1) In these rules, unless the context otherwise require,—

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995;

(b) "Bio-medical/clinical waste" means the waste generated in the hospitals, dispensaries, private clinics, Laboratories and slaughter houses and shall include :—

- (i) human or animal anatomical wastes;
- (ii) blood, body fluids and blood soaked bandages;
- (iii) microbiological wastes;
- (iv) discarded medicines;
- (v) disposables, wastes sharps (needles, syringes, scapels, blades);
- (vi) highly infections wastes;
- (vii) slaughter house wastes;
- (viii) incineration wastes (ash from incineration of any bio-medical waste);
- (ix) bio-technological waste;

(c) "Garbage Management Committee" means the garbage/waste management committee constituted under rule 4 of these rules.

(d) "Garbage Management Zone" means the Zone constituted under rule 3;

(e) "Section" means the section of the Act; and

(f) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh.

(2) All other words and expressions used in these Rules but not defined therein shall have the same meanings as have been assigned to them under the Act.

3. *Garbage Management Zone.*—(1) For the garbage clearance, scavenging and cleaning the local authority shall divide the area, falling within its territorial jurisdiction, into garbage collection/waste management zone.

(2) Every Garbage Management Zone set up under sub-rule (1) shall be under the charge of a Sanitary Inspector (by whatever name called) and a Sanitary Inspector may hold charge of one or more such zones.

4. *Garbage/Waste Management Committee.*—(1) To assist and devise the means for the efficient collection and disposal of the garbage in a Garbage Management Zone, setup under sub-rule (1) of rule 3, a Garbage Management Committee shall be constituted and it shall comprise of :—

- (a) the public representative of the area in the local body concerned;
- (b) two responsible persons of the locality nominated by the local body;

(c) the Sanitary Inspector of the area.

(2) The functions of the Garbage Management Committee constituted under sub-rule (1), shall be to render assistance to the local authority of the area :—

(a) for selection or earmarking the places where public receptacles are to be provided for temporary deposit of garbage/waste generated from various sources in the Garbage Management Zone;

(b) for fixation of intervals, within which the contents of receptacles, deposite and accumulation at all places, designated under rule 5 may be removed/cleared;

(c) for providing safeguards to be taken while depositing the garbage/waste in public receptacles/dustbins and its removal to dumping grounds for the places fixed for its bio-conversion, dumping incineration or recycling;

(d) for arranging the awareness, programmes to ensure reduction, reuse and recycling of garbage/waste, especially the non-biodegradable waste;

(e) for encouraging residents for the area to explore the social and economic/feasibility or separation of household waste, at the source for its reuse and recycling; and

(f) for devising steps to be taken for the maintenance of ecology and reduction of environmental pollution in the area.

5. *Public Garbage receptacles dustbins.*—(1) The local authority, in consultation with the Garbage Management Committee constituted under rule 4, shall, for temporary deposit or collection of non-biodegradable garbage/waste generated in the area provide or place, in proper place and convenient situation, separate receptacles/dustbins other than those kept and maintained for deposit of bio-degradable garbage.

(2) In hospitals, dispensaries, private clinics, laboratories and slaughter houses, the persons managing such institutions shall provide and place at convenient places separate receptacles/dustbins for the collection and deposit of garbage and bio-medical/clinical waste generated therefrom.

(3) The local authority and the Management referred to in sub-rule (2) while providing/placing the receptacles and dustbins under this rule, shall take every possible precaution to ensure that those are kept beyond the approach/reach of dogs and stray animals.

6. *Colour of and inscription on receptacles/dustbins.*— The public receptacles and dustbins shall be painted in colour and shall carry the inscription as under :—

1. Biodegradable—in black colour with inscription "for degradable waste only";
2. Non-biodegradable—in green colour with inscription "For Non-biodegradable waste only"; or
3. Bio-medical/clinical waste—in yellow colour with inscription "For Bio-medical/clinical waste only";

7. *Safeguards to be taken by owners and occupants for deposit of garbage/waste generated from their buildings and lands.*—The owners and occupants of all lands and buildings shall collect or cause to be collected the garbage/waste generated from their respective lands/buildings and deposit it or cause to be deposited in public receptacles/dustbins provided under rule 5, for temporary deposit or collection of garbage by the local authority of the area ensuring that :

- (a) the garbage is deposited in a location designated by the local authority;
- (b) the garbage is placed in a garbage receptacles/dustbins;
- (c) the bio-degradable garbage is deposited in the receptacle/dustbin/dumper designated for that purpose; and
- (d) the non-biodegradable garbage is not mixed either with the biodegradable garbage or bio-medical/clinical waste and is deposited in the receptacles/dustbins designated for that purpose.

8. *Prohibition to throw non-biodegradable waste.*—As persons, himself, or through another shall knowingly or otherwise,—

(a) throw or cause to be thrown any non-biodegradable garbage in a place other than the garbage receptacle dustbins designated for the purpose under rule 5; and

(b) mix the bio-medical/clinical waste with other non-biodegradable waste/grabage.

9. *litter Control.*—The local authority or its officers may, order to clean up any non-biodegradable litter which has been disposed of contrary to the provision of the Act and these rules.

10. *Disposal of garbage/waste.*—(1) The garbage/waste generated from various sources and deposited in the receptacles/dustbins, provided under rule 5, shall be got collected and removed, by the local authority, either through its employees or through the private agencies engaged by it for this purpose, to the dumping grounds or suitable disposal sites.

(2) The non-biodegradable garbage/waste (other than the bio-medical/clinical waste, whether comprised of biodegradable or non-biodegradable matter) collected from receptacles/dustbins and carried to dumping grounds or disposal sites under sub-rule (1), shall be further carried to the recycling centres arranged by the local authority through its own officers or through private agencies or the rag-pickers/kabaaries.

(3) Subject to the provision contained in any other law, for the time being in force, and the terms and conditions which may be imposed by a local authority, the persons responsible for the management of a hospital, dispensary, clinic, laboratory and slaughter house, shall dispose of the bio-medical/clinical waste (including other garbage generated there from) by the process of incineration or other non-incineration technology :

Provided that where incineration facilities are not available or economically viable, the local authority, shall, in the absence of the agreement to the contrary, arrange for the removal and disposal of the bio-medical/clinical waste by the process of incineration or other non-incineration technology.

(4) Subject to the sub-rule (3), the bio-degradable waste shall be get disposed of by the local authority, as it may by deem fit, be the process of bio-conversion, dumping or incineration or an other scientific method.

(5) Each site for bio-conversion, dumping and processing of the garbage/waste generated from all sources within the territorial limits of the local authority should be located at sufficient distance from the residential habitats.

11. *Inspections.*—(1) For the purpose of implementation of the provision of these rules, an officer or employee of the local authority or the members of the Garbage Management Committee constituted under rule 4, may, at any reasonable time do any or all the following :—

- (a) enter and inspect any place to determine :—
  - (i) the extent, if any, to which a garbage may cause, is causing or has caused any adverse affect;
  - (ii) the cause of any adverse effect that may occur, is occurring or has occurred;
  - (iii) now an adverse effect may, be prevented, eliminated, reduced or ameliorated and the environment conserved or reclaimed;
- (b) enter and inspect any place in which such officer or employee or member, as the case may be, reasonably believes that the waste can be found;
- (c) when such officer, employee or member, as the case may be, reasonably believes that any garbage/waste may release, is releasing or has released into the environment or a place open to public view, or that garbage/waste may cause, is causing or has caused any adverse effect, require the person having charge, management of control of the garbage/waste to remove the garbage/waste or cause it to be removed from where it is found and deposited in a place designated for that purpose under rule 5.

(2) No entry in any private premises under sub-rule (1) shall be made after the sun-set and before the sun-rise.

12. *Assistance to Officers.*—The owner of and every person found in, any place in respect of which an officer or employee of the local authority or the member of the Garbage Management Committee constituted under rule 4 is exercising powers and carrying out duties under the Act and these rules shall :—

- (a) give such officer, employee or member all reasonable assistance to enable him to exercise those powers and carry out those duties.
- (b) furnish all information relative to exercising of those powers and carrying out those duties that such officer, employee or member may reasonably require.

Sd/-

F.C.-cum-Secretary.